Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[Ceiling Appeal No.-62/2023]
Raju Choudhary & Ors.....Appellants.
Versus
The State of Bihar & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	13.5.2026	**आदेश** यह अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिट याचिका सं.-17676/2022 में दिनांक 04.4.2023 को पारित आदेश के आलोक में न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा बन्दोबस्ती रद्दीकरण वाद संख्या- 08/2020-21/04/2019-20 में दिनांक-12.10.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक 04.5.2026 को उभय पक्ष एवं विद्वान AGP के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी द्वारा Written Note of Argument दाखिल है। अपीलार्थी का कहना है कि गजट नोटिफिकेशन सं.-805 दिनांक 21.6.1976 के द्वारा पूर्णिया जिलान्तर्गत धमदाहा अंचल के मौजा-कुकरौन, थाना नं.-194/1 खाता सं.-796 खेसरा सं.-654 रकवा- 5.78 एकड़ जमीन सहित अन्य जमीन को Ceiling Surplus land के रूप में अधिसूचित किया गया। जिसके उपरान्त प्रश्नगत जमीन अपीलार्थीगण/पूर्वजों के नाम से बंदोबस्ती वाद सं.-38/1976-77 के माध्यम से लाल कार्ड प्राप्त हुआ। तथा यह कि उनके नाम से प्रश्नगत जमीन के संदर्भ में जमाबंदी सं.-44, 45, 46, 47, 48 एवं 49 कायम हुआ एवं सरकार को अद्यतन भू-लगान अदा किया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रश्नगत जमीन सहदेव चौधरी व बलदेव चौधरी से संबंधित है। तथा यह कि विपक्षी के पूर्वज छोटका मुर्मू का नाम सिकमीदार के रूप में दर्ज है। उनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत जमीन पर उनका हमेशा से दखल-कब्जा रहा है। परन्तु अंचल अधिकारी, धमदाहा के स्तर से गलत प्रतिवेदन के आधार पर अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया के द्वारा उनलोगों/पूर्वजों के नाम से निर्गत लाल कार्ड एवं तदनुसार सृजित जमाबंदी को रद्द करने का आदेश दिया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है। उनका कहना है कि पूर्व में वर्ष 1996 में प्रश्नगत जमीन के सिकमीदार के वंशज मरामय देवी पति-सुफल मुर्मू द्वारा Ceiling Act के धारा 22(2) के तहत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा के न्यायालय में वाद सं.-28/1996 दायर किया गया था, जिसे दिनांक-28.2.1997 को खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी की ओर से निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए इस अपील वाद को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षीगण का कहना है कि प्रश्नगत जमीन का खतियान उनके दादा छोटका मुर्मू के नाम से सिकमी खाता सं.-472 खेसरा सं.-654 के रूप में दर्ज है। उनका कहना है कि अपीलार्थीगण के नाम से गलत ढ़ंग से लाल कार्ड निर्गत होने की जानकारी मिलने के उपरान्त उनके द्वारा अंचल अधिकारी, धमदाहा को आवेदन दिया गया। उनका कहना है कि पूर्व में तत्कालीन कर्मियों की गलती के कारण प्रश्नगत जमीन अपीलार्थीगण के नाम से लाल कार्ड बंदोबस्त की गई। उनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत जमीन पर बंदोबस्तधारियों का कभी भी दखल-कब्जा नहीं रहा है। विपक्षी की ओर से निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को संपुष्ट करते हुए इस अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही विपक्षीगण द्वारा प्रश्नगत जमीन पर उनलोगों के नाम से हरा कार्ड निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि गजट नोटिफिकेशन	

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

13.5.2026	सं.-805 दिनांक-22.6.1976 के माध्यम से प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन को Ceiling Surplus land के रूप में अधिसूचित किया गया। जिसके उपरान्त बंदोबस्ती वाद सं.-38/1976-77 के माध्यम से प्रश्नगत जमीन अपीलार्थी/पूर्वजों (कुल 06 व्यक्ति) को लाल कार्ड के द्वारा बंदोबस्त किया गया। तदनुसार उनलोगों के नाम से जमाबंदी कायम हुआ। कागजातों के आधार पर यह स्थापित हो रहा है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा के स्तर से पूर्व में प्रश्नगत जमीन के सिकमीदार के वंशज द्वारा Ceiling Act के धारा 22(2) के दायर वाद सं.-28/1996 को दिनांक 28.2.1997 को पारित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। Ceiling Surplus land पर निर्गत विधिमान्य पर्चा के विरूद्ध सिकमी अधिकार का कोई विधिमान्य आधार कानूनी प्रावधानों में निहित नहीं है। निम्न न्यायालय के स्तर से अपीलार्थीगण का प्रश्नगत जमीन पर कभी भी दखल नहीं रहने के आधार पर उन्हें/पूर्वजों को प्राप्त लालकार्ड को निरस्त करते हुए उनके नाम से सृजित जमाबंदी को रद्द करने का आदेश पारित किया गया था। जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। सिकमी रैयत के वारिसान द्वारा उनकी जमीन को कथित गलत रूप से वर्ष 1976 में सीलिंग Surplus अधिसूचित होने के लगभग 45 वर्षो के बाद अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया के न्यायालय में सुधार हेतु लाया गया, जो substantial रूप से Time barred था। किन्तु निम्न न्यायालय (अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया) के स्तर से बिना मान्य कानूनी अथवा तथ्यात्मक आधार के अपीलाधीन आदेश (12.10.2022) पारित किया गया है। जो विधिमान्य नहीं है। सुनवाई में अपीलार्थी के उपरोक्त बंदोबस्ती पर्चा (लाल कार्ड) को विधिमान्य नहीं मानने के संबंध में विपक्षी की ओर से कोई साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। अतः तदनुसार निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश (12.10.2022) को निरस्त करते हुए इस अपील वाद को स्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को अनुपालन हेतु भेजें। 13/5/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।

13/5/2026.

आयुक्त,

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया